# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)**

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- |
| 38 / 2025 | 01.07.2025 | ............2025 |

**उनवान**

1. रोशनलाल माली पुत्र गंगाराम माली, निवासी मालीखेडा भोपालगंज, भीलवाडा।

—— **प्रार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— **विपक्षी**

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री ओमप्रकाश पटवारी उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 01 की और से पैराकार सरकार।**

**–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–**

**–:: निर्णय ::–**

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तस्वारीया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 833 / 45 रकबा 1.6565 हैक्टयर भूमि किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसमें प्रार्थी का 1 / 3 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि को प्रार्थी के पिता गंगाराम जी ने प्रार्थी की नाबालिग अवस्था में प्रार्थी सहित अन्य भाईयो के नाम निवर्तमान खातेदार कमलादत्त पिता श्री मांगीलाल जी ब्राहमण से रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा 04 / 05 / 1985 को कय की उक्त दस्तावेज उपपंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में दिनांक 04 / 05 / 1985 पर पंजीबद्ध है। उक्त भूमि को कय करते समय दस्तावेज (विक्रय पत्र) में प्रार्थी का नाम रोशन लाल पिता गंगाराम माली दर्ज था लेकिन उक्त कयशुदा भूमि का नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थी का नाम रोशन लाल पिता गंगाराम माली के स्थान रामेश्वर लाल माली पिता गंगाराम माली अंकित हो गया है जो पूर्णतया गलत है क्योंकि कयशुदा दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रोशन लाल माली ही अंकित है। प्रार्थी को उक्त गलत अंकन की जानकारी होने पर प्रार्थी ने पटवार हल्का से उक्त आराजी की जमाबन्दी प्राप्त करनी चाही लेकिन उन्होंने कहा कि उक्त नकल ऑनलाईन पर उपलब्ध है आप वहां से प्राप्त करे इस पर मैने ऑनलाईन से जमाबन्दी नकल प्राप्त की तो उक्त त्रुटि के बारे में पता चला जिस पर प्रार्थी ने पटवार हल्का एवं राजस्व कर्मचारीयो से सम्पर्क कर उक्त त्रुटि का संशोधन करने हेतु निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र आप श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त भूमि में 1 / 3 हक हिस्से पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर काश्त कर रहा हूँ तथा वर्तमान में प्रार्थी की उम्र 46 वर्ष हो चुकी है लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी नाम के साथ सरंक्षक सरपस्त गंगाराम माली अंकित है जिसे भी सही किया जाना विधि सम्मत है।

प्रार्थी का नाम रोशन लाल पुत्र गंगाराम माली ही है तथा प्रार्थी के शिक्षा प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजो में भी प्रार्थी का नाम रोशन लाल पुत्र गंगाराम माली ही दर्ज है तथा विक्रय पत्र में भी प्रार्थी का नाम रोशन लाल माली ही अंकित है। लेकिन त्रुटिवश प्रार्थी का नाम रोशन लाल माली के स्थान रामेश्वर लाल माली अंकित हुआ है जिसे सही किया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम विक्रय पत्र अनुसार रोशन लाल माली पुत्र गंगाराम माली अंकित किया जाना न्यायोचित है। उक्त त्रुटि की जानकारी होने पर प्रार्थी ने तहसील कार्यालय भीलवाड़ा में दिनांक 08/11/2024 को नामान्तरण की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति दिनांक 13/11/2024 को प्राप्त हुई तथा वर्तमान जमाबन्दी भी इसी दिनांक को मिली इस प्रकार यह प्रार्थनापत्र होने जानकारी अन्दर अवधि पेश है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम तस्वारीया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 833/45 रकबा 1.6565 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का गलत अंकित नाम रामेश्वर लाल माली को हटाया जाकर सही नाम रोशनलाल पुत्र गंगाराम माली अंकित किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 तहसीलदार भीलवाडा का जवाब पत्रांक 3005 दिनांक 29.08.2025 से प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार ग्राम तस्वारीया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 833/45 रकबा 1.6565 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि प्रार्थी व उसके भाईयों के नाम क्रयशुदा है जो नामान्तकरण संख्या 270 से बालु लाल, किशनलाल, रामेश्वरलाल पिता गंगाराम माली सा0 भीलवाडा के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। उक्त भूमि को क्रय करते समय दस्तावेज (विक्रय पत्र) में प्रार्थी का नाम रोशनलाल पिता गंगाराम माली दर्ज था लेकिन उक्त क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थी का रोशनलाल पिता गंगाराम माली के बजाय सहवन से रामेश्वर लाल पिता गंगाराम माली दर्ज हो गया। प्रार्थी का नाम विक्रय पत्र अनुसार राजस्व रेकार्ड में रामेश्वर लाल के बजाय रोशनलाल किया जाना उचित है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस, विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गय पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम **रामेश्वरलाल पिता गंगाराम माली के बजाय रोशनलाल पिता गंगाराम माली** संशोधित किये जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

# —:आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम तस्वारीया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 833/45 रकबा 1.6565 हैक्टयर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **रामेश्वरलाल पिता गंगाराम माली के बजाय रोशनलाल पिता गंगाराम माली** इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा